पत्रिका सिटी पत्रिका patrika.com/city

साइबर झांसे में 10 करोड़ रुपए गंवा चुकी प्रदेश की जनता

साइबर एक्सपर्ट वरुण कपूर की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

हरीश कुमार . इंदौर @ पत्रिका

patrika.com/city

लॉटरी खुलने, विदेश जाने व विदेश में नौकरी लगाने जैसे साइबर झांसे में आकर प्रदेश की जनता 10 करोड़ रुपए गंवा चुकी है। ऐसे क्राइम में अपराधी को पकड़ना मुश्किल होता है। पैसों की वापसी भी टेढ़ी खीर है।

ये खुलासा किया साइबर एक्सपर्ट व इंदौर आईजी (रेडियो) वरुण कपूर ने। उनकी स्टडी में सामने आया कि 1 जनवरी 2012 से 30 जून 2014 तक साइबर क्राइम के 125 मामले दर्ज हुए हैं। एसौचेम की रिपोर्ट बताती है मप्र में ऐसे मामले में पहले नाइजीरिया के लोग लिप्त थे। अब बांग्लादेश, अल्जीरिया, पाकिस्तान व चीन से ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं।

केस-1 : इंग्लैंड बुलावे का झांसा

इंदौर के एक युवक को इंग्लैंड से मेल आया कि एक विषय पर रिसर्च पेपर पढ़ा जाना है। वे इंग्लैंड आएं, आने-जाने, वीजा का खर्च इंग्लैंड वाले ही उठाएंगे। युवक को केवल होटल में बुकिंग करवाकर रसीद भेजना है। फिर फोन आया हजार पाउंड जमा करा दें। युवक ने साढ़े पांच लाख रुपए बैंक ऑफ इंग्लैंड के अकाउंट में जमा करा दिए। रिसर्च पेपर की तारीख नजदीक आई तो किसी फोन नहीं उठाया। शिकायत पर साइबर सेल ने जांच की तो पता चला, आईपी एड्रेस घाना का है और उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट इंग्लैंड में। न गिरफ्तारी हुई न पैसा वापस मिला।

केस -2 : विदेश में नौकरी का लालच

सैलाना (रतलाम) के एक युवक को विदेश में नौकरी के नाम पर फोन आया। विदेश में रहने, आने-जाने, वीजा बनाने के नाम पर धीरे-धीरे साढ़े छह लाख रुपए ले लिए और आखिर में फोन लगना बंद हो गया।

केस-3 : लॉटरी के नाम पर ठगा

पीथमपुर के एक युवक से केबीसी में लॉटरी खुलने के नाम पर 15 हजार रुपए जमा करवा लिए। वहीं एक अन्य युवक को भी लॉटरी के नाम पर फोन आया। उसने भी 15 हजार दे दिए। अगले दिन फोन आना बंद हो गया।

बरतें सावधानी

- लॉटरी, नौकरी से संबंधित फोन आए तो उस पर विचार न करें।
- आवश्यक हो तो उस संस्थान या व्यक्ति की सारी जानकारी निकालें।
- ई-मेल पर भी इस तरह के लुभाने वाले पत्र आते हैं। उनसे बचें।
- पुलिस को तत्काल सूचना दें।

इस तरह होती है कार्रवाई

प्रदेश का गृह विभाग केंद्रीय गृह विभाग को सूचना के साथ दस्तावेज सौंपता है। दस्तावेज को इंटरपोल को सौंपा जाता है। इंटरपोल लुक आउट नोटिस जारी करता है। हालांकि देश में हर साल ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं, इससे किसी भी मामले का निपटारा नहीं हो पाता।

मुश्किल होता है पकड़ना

साइबर क्राइम में मप्र में स्टडी की है। लोगों को करोड़ों रु. का नुकसान हुआ है। हम आरोपी का पता तो लगा लेते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कानून लागू होने से पकड़ना मुश्किल है। इसमें इंटरपोल की मदद चाहिए। पीड़ित भी कुछ समय बाद सक्रिय नहीं रहते। - **वरुण कपूर,** साइबर एक्सपर्ट, आईजी (रेडियो)